(01)

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया, गिरिडीह

गुल मोहम्मद वगै0 बनाम् सबीर मियां वगै0

विविध वाद संख्या –80 / 2024

U/S – 144 Cr. P. C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. गुल मोहम्मद, पिता – उगन मियाँ,
2. मो0 करीमउद्दीन, पिता – कुर्बान अली,

दोनों साकिन – गुडीटांड, थाना– बिरनी, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. सबीर मियां, पिता – कैला मियां,
2. मो0 हकीम, पिता – कैला मियां,
3. मनीरउद्दीन मियां, पिता – कैला मियां,

तीनों साकिन – गुडीटांड, थाना– बिरनी, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी, बिरनी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
गुडीटांड	04	168	16 डी0	उ0– धान अमीर मियां, द0– धान चौधरी मियां, पु0– रास्ता, प0– धान कसमली मियां।
		196	01 डी0	उ0– टांड नीज, द0– टांड इन्दु मियां, पु0 –टांड नीज, प0– टांड नीज।
		197	77 डी0	उ0– रास्ता, द0– परती कदीम, पु0– परती कदीम, प0– टांड इन्दु मियां।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष / उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 25.05.2024 एवं 06.07.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन दिनांक – 25.05.2024 – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. लिखित कारण – पृच्छा दिनांक – 06.07.2024, कुल – 05 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**

3. डोमन मियां के नाम से ऑफलाईन खतियान की छायाप्रति, कुल – 03 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**
4. जुमन मियां वगै0 के नाम से ऑनलाईन पंजी II की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**
5. जुमन मियां के नाम से आफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**
6. प्लॉट नं0 – 168, 196 एवं 197 के नक्शा की छायाप्रति, कुल – 03 पृष्ठ, **प्रदर्श A-6**
7. वंशावली की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-7**
8. गुल मोहम्मद एवं मो0 करीमउद्दीन के आधार कार्ड की छायाप्रति, कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श A-8**

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 06.07.2024 को समर्पित लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट नं0 01 – यह कि प्राथी द्वारा न्यायालय में अंचल – बिरनी, थाना नं0 – 19, मौजा – गुडीटांड के अंदर खाता नं0 – 04 के कुल तीन प्लॉटों पर वाद लाया गया है, जो कमशः 168, 196, 197 रकबा कमशः 16 डी0 चौहदी उ0– धान अमीर मियां, द0– धान चौधरी मियां, पु0– रास्ता, प0– धान कसमली मियां , रकबा – 01 डी0 चौहदी उ0– टांड नीज, द0– टांड इन्दु मियां, पु0 – टांड नीज, प0– टांड नीज एवं रकबा – 77 डी0 चौहदी उ0– रास्ता, द0– परती कदीम, पु0– परती कदीम तथा प0– इन्दु मियां अवस्थित है। द्वित्तीय पक्ष के परती उत्तर में खाता नं0 – 04 प्लॉट सं0 – 168 रकबा – 16 डी0 के चौहदी में प0 – धान रहमली मियां बताते जिससे पता चलता है कि द्वित्तीय पक्ष को जमीन की पूरी जानकारी नहीं है और गलत चौहदी डालकर न्यायालय को गुमराह करने के फिराक में है।

आवेदन का प्वांइट नं0 02 – यह कि अंचल बिरनी, थाना नं0 – 19, मौजा – गुडीटांड के अंदर खाता नं0 – 04, सर्वे खतियान में खातियानी रैयत डोमन मियां, वल्द जेहाल मियां कौम – जोल्हा के नाम पर दर्ज है। परन्तु द्वित्तीय पक्ष के द्वारा गलत और भ्रामक रैयतों को सर्वे खतियान के रैयत बताकर न्यायालय से सच्चाई छुपाना चाहते हैं।

आवेदन का प्वांइट नं0 03 – यह कि उपरोक्त खात नं0 – 04 का जमाबंदी पंजी II के भाग संख्या – 01, पृष्ठ संख्या – 06 में जुमन मियां वगैरह, विशुन मियां, उगन मियां, लटु मियां, पिता – आल्हो मियां एवं गिधु मियां, जुलो मियां, पिता – हुसेनी मियां के नाम पर दर्ज है। तथा उभय पक्ष एक ही वंशज के वंश है।

आवेदन का प्वांइट नं0 04 – यह कि खतियानी रैयत डोमन मियां, वल्द जेहल मियां अपने पीछे दो पुत्र आल्हो मियां एवं हुसैनी मियां को छोडकर स्वर्ग सिधार गये जिसमें से आल्हो मियां के चार पुत्र 1. लटु मियां 2. जुमन मियां 3. विशुन मियां एवं 4. उगन मियां हुए। उभय पक्ष इन्हीं के वंशज है।

आवेदन का प्वांइट नं0 05 – यह कि लटु मियां मात्र एक पुत्र कैला मियां को छोड़ मरे अब कैला मियां के चार पुत्र मो0 साबीर, मो0 युसुफ(मृत), मो0 हाकिम, मो0 मनीर हुए, जो अभी जीवित है। तथा वाद में द्वित्तीय पक्ष है। चूँकि वंशावली के अनुसार लटू मियां बड़े भाई थे और इस प्रकार वंशज अन्य हिस्सेदार से तेज भी थे और इस कारण जहाँ – जहाँ कीमती भूमि था उसे पहले ही बिना बंटवारा के अपने कब्जे में ले लिये और बाकि हिस्सेदार को पीछे व बिना उपजाऊ जमीन छोड दिये।

आवेदन का प्वांइट नं0 06 – यह कि जुमन मियां अपने पीछे एक पुत्र सुकर मियां को छोडकर स्वर्ग सिधार गये। अब सुकर मियां के दो पुत्र मो0 रजाक एवं मो0 जहीर हुए जिसमें से मो0 रजाक अभी जीवित है। तथा मो0 जहीर मियां अपने पिछे दो पुत्र गुलजार मियां, गुलाम मियां छोड मरे है।

आवेदन का प्वांइट नं0 07 – यह कि विशुन मियां के एक मात्र पुत्र मो0 कुर्बान हुए तथा मो0 कुर्बान अपने पीछे चार पुत्र 1. मो0 अनवर 2. मो0 करीम 3. गुलाम उर्फ आशीन

एवं 4. इबरार को छोड़ मरे है। जो अभी जीवित है तथा मो0 करीम उक्त वाद में प्रथम पक्ष सं0 – 02 है।

आवेदन का प्वांइट नं0 08 – यह कि उगन मियां अपने पीछे चार पुत्र 1. दिल मोहम्मद 2. लाल मोहम्मद 3. गुल मोहम्द एवं 4. मो0 कुर्बान को छोड़ स्वर्ग सिधार गये। अब दिल मोहम्मद अपने पीछे पाँच पुत्र को छोड़ स्वर्ग सिधार गये। 1. कोशर मियां 2. मो0 अफजल 3. मो0 नईमुद्दीन 4. कबीरउद्दीन एवं 5. अशीक मियां जो सभी अभी जीवित है और गुल मोहम्मद उक्त वाद में प्रथम पक्ष सं0 – 01 है।

आवेदन का प्वांइट नं0 09 – यह कि आज से पूर्व उक्त खाता नं0 – 04 का कोई लिखित बंटवारा नहीं हुआ है। चुँकि द्वित्तीय पक्ष वंशावली में बडे थे और इसी का फायदा उठाकर अपने मन मुताबिक उपयोगी जमीन को हथियाना चाहते हैं और इस कारण से ही समाजिक शांति व्यवस्था भंग करने पर उतारू है।

द्वित्तीय पक्ष

द्वित्तीय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा, दिनांक– 24.06.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा – कुल 08 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**

द्वित्तीय पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 02 – खतियान के अनुसार वादग्रस्त भूमि का विवरण :–

1. वादग्रस्त भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयति खाते की भूमि है जो जुमन मियां, विशुन मियां, उगन मियां वो लटू मियां, पिता – अल्हो मियां एवं हुसैनी मियां के नाम पर इन्द्राज पाया गया है।

   खतियान के अनुसार जमाबंदी ऑनलाइन पंजी II के पेज नं0 – 6/1 पर कायम है।

2. उभय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज है तथा उभय पक्ष एक ही वंश के वंशज है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 03 – यह कि खयितान के आधार पर व खतियानी वंशज के वंशावली निम्न प्रकार से है।

1. यह कि आल्हो मियां के चार पुत्र कमशः 1. लटु मियां 2. जुमन मियां 3. विशुन मियां 4. उगन मियां हुए।

2. लटु मियां अपने पीछे एक मात्र पुत्र कैला मियां को छोडकर स्वर्गवासी हो गये। तथा कैला मियां अपने पीछे चार कमशः 1. मो0 साबीर 2. युसुफ रजा की मृत्यु हो गयी है 3. हकीम मियां 4. मनीरउद्दीन मियां।

3. उगन मियां के चार पुत्र कमशः 1. दिल मोहम्मद 2. गुल मोहम्मद 3. लाल मोहम्मद 4. कुर्बान मियां को छोडकर मरे जिसमें तीन भाईयों के द्वारा कभी भी आपत्ति नहीं किया है।

4. जुमन मियां के एक पुत्र सुकर मियां तथा सुकर मियां के दो पुत्र कमशः 1. जहीर मियां 2. रजाक मियां हुए जिसमें जहीर मियां को कोई आपत्ति नहीं है।

5. विशुन मियां के एक मात्र पुत्र कुर्बान मियां हुए तथा कुर्बान मियां के चार पुत्र 1. अनवर मियां 2. करीम मियां 3. यासीन मियां 4. अबरार अंसारी हुए जिसमें करीम मियां को छोडकर किसी भी भाईयों का कोई आपत्ति नहीं है।

थाना बिरनी का प्रतिवेदन –

थाना प्रभारी, बिरनी का पत्रांक – 699, दिनांक – 06.06.2024, कुल – 02 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 02 पृष्ठ) – प्रदर्श C-1

अंचल बिरनी का प्रतिवेदन –

अंचल अधिकारी, बिरनी का पत्रांक – 564, दिनांक – 31.05.2024, प्रतिवेदन सहित कुल – 03 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ तथा रा0 उ0 नि0 एवं प्र0 अं0 नि0 का प्रतिवेदन – कुल 02 पृष्ठ) – प्रदर्श D-1

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना/अंचल के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
गुडीटांड	04	168	16 डी0	उ0– धान अमीर मियां, द0– धान चौधरी मियां, पु0– रास्ता, प0– धान कसमली मियां।
		196	01 डी0	उ0– टांड नीज, द0– टांड इन्दु मियां, पु0 + प0– टांड नीज।
		197	77 डी0	उ0– रास्ता, द0– परती कदीम, पु0– परती कदीम, प0– टांड इन्दु मियां।

2. उक्त विवादित भूमि, खाता नं0 – 04, रैयती खाता की भूमि है, जो डोमन मियां के नाम पर दर्ज है।

3. उक्त खतियान की जमाबंदी ऑनलाईन पंजी II के भाग संख्या – 1, पृष्ठ संख्या – 06 पर जुमन मियां वगै0 के नाम से कायम है।

4. उभय पक्ष एक ही खतियानी रैयत के वंशज है, जो विवादित भूमि पर अपना – अपना दावा कर रहे है।

5. थाना प्रभारी, बिरनी के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्वजों द्वारा जो बंटवारा किया गया है वह बंटवारा के अनुसार सभी अपना – अपना दखल कब्जा में है। दोनों तरफ से रास्ता पकड़े हुए जमीन को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ है। (**प्रदर्श C-1**)

6. अंचल अधिकारी, बिरनी के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि द्वित्तीय पक्ष के पूर्वज द्वारा विगत कई वर्षों से रोड के तरफ दखलकार रहे हैं, जबकि प्रथम पक्ष पीछे वाले हिस्से में दखलकार रहा है। (**प्रदर्श D-1**)

उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि यह विवाद आपसी बंटवारा तथा हक – हकियत से संबंधित है, जिस पर निर्णय करना, इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः इस वाद में निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।

उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

10.08.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।

10.08.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.08.20 13:37:46 +05:30
Location: 192.168.1.6